राजस्थान सरकार

अज अदालत नायब तहसीलदार जालोर

सरकार जरिये पटवारी हल्का ..साफाड़ा.. बनाम..अमराराम.. ....पुत्र.......... ..भोराराम..जाति..प्रजापत..निवासी—..साफाड़ा..मुकदमा नं..68/17..अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट1956

निर्णय

निर्णयः— दिनांक ..08-2-2018..

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल गैर हाजिर। गैर सायल को नोटिस तामील के बावजूद भी गैर हाजिर रहा है। अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर गैर सायल की शहादत बन्द की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ..साफाड़ा.. द्वारा संवत ..2074 रबी.. की रिर्पाट पेश कर जाहिर किया गया है कि गैर सायल द्वारा मौजा ..साफाड़ा.. के खसरा न..860.. किस्म..गै0मु0 नाला.. ... हैक्टर ..0.05 है..पर नाजायज तौर से अतिकमी द्वारा अतिक्रमण कर ..जिन्स उगाकर.. किया जाने पर रिपोर्ट के आधार पर मामला धारा 91 आर एल आर 1956 के तहत् दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को धारा 91(3) के जरिये नोटिस तलब किया गया । सुनवाई के दौरान गैर सायल की और से किसी भी प्रकार का साक्ष्य/ सबूत पेश करना नहीं चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि गैर सायल को उक्त आराजी का अतिक्रमण करना स्वीकार करता है।

अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल का आदेश दिया जाता है। वार्षिक लगान रूपये ..1-00.. का 50 गुणा कुल ..50/-..रूपये (अक्षरे ..पचास.. ...रूपये मात्र) बतौर गैर सायल पर आरोपित किया जाते है। जो पटवारी हल्का ..साफाड़ा.. को वसूली एवं मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु व निरीक्षक भू.अ. ..माण्डवला.. फसल कुर्क व निलाम करने हेतु लिखा जावें एवं टीआरए को मांग कायमी हेतु लिखा जावे। मिसल बाद फैसला सुंमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ..08-2-2018.. को सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर
नायब तहसीलदार जालोर
(पुखराज मीणा)